न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.
वाद संख्या :— 89/2022
जीसीएमएस संख्या :— 2022/309

उनवान

1. बनवारी पुत्र कानाराम
2. श्रीराम पुत्र रामशरण

समस्त उम्र—वयस्क, जाति अहीर, निवासी चिमनपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।

— वादी

बनाम

1. प्रभु पुत्र नारायण
2. प्रहलाद पुत्र गोमा

समस्त उम्र—वयस्क, जाति कुम्हार, निवासी चिमनपुरा, जिला जयपुर, राज0।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर, राज0।

— प्रतिवादीगण

अधिवक्ता उपस्थिति :— श्री झाबर सिंह यादव, वादी की ओर से
:— श्री रामनिवास गुर्जर, प्रतिवादी की ओर से

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :— 16/01/25

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता सं0—22 के हाल आराजी खसरा नं0—170 रकबा 0.68 है० कुल किता—1 कुल रकबा 0.68 है० वाकै ग्राम घासीप्रभा, पटवार हल्का नाथावाला, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी वर्तमान खातेदारी में हिस्सा 53/136 वादी सं0—1 व हिस्सा 53 / 136 वादी सं0—2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है शेष हिस्सा प्रतिवादी सं0—1 लगायत 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सेनुसार हाल आबाद काबिज काश्त है। यहकि वाद पत्र के जिमन नं0—1 में वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व की सम्पति रही है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार हाल आबाद काबिज काश्त रहे है जिसका काफी समय पूर्व वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से बाहमी बंटवारा कर लिया था वाद ग्रस्त आराजी भूमि हाल आराजी खसरा नं0—170 के पूर्व दिशा में प्रतिवादी सं0—1 लगायत 3

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला—जयपुर (राज.)

की दीगर खातेदारी भूमि हाल आराजी खसरा नं0–171 स्थित है प्रतिवादीगण की सुविधा एवं भूमि को इकजाही करने के लिए प्रतिवादी सं0–1 लगायत 3 को वाद ग्रस्त भूमि हाल आराजी खसरा नं0–170 की पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण हाल खसरा नं0–171 से लगती भूमि दी गई थी एवं शेष भूमि वादीगण के हिस्से में रही थी वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने कर बाहमी बंटवारे को सहर्ष स्वीकार बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि पर हाल आबाद काबिज हो गये थे वादीगण बिना किसी बाधा के बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि पर हाल आबाद काबिज काश्त है। यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित भूमि का बाहमी बंटवारा काफी समय पूर्व हो गया था वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि को काफी रूपये खर्च कर समतल कर काबिल काश्त बनाया है एवं काफी रूपये खर्च कर एवं मेहनत कर एवं उर्वरक खाद इत्यादि डालकर उपजाऊ बनाया है। यहकि वादीगण द्वारा बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि को काबिल काश्त एवं उपजाऊ बनाने के बाद कालान्तर में प्रतिवादीगण के मन में बदनियति उत्पन्न हो गयी एवं वादीगण को बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा है एवं अच्छी अच्छी उपजाऊ भूमि पर काबिज होने पर आमदा है प्रतिवादीगण कब्जे काश्त में भी बेजा मजाहमत उत्पन्न करने लग गये है। यहकि प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि को दीगर भू माफिया व्यक्तियो को बेचान करने पर आमादा है प्रतिवादीगण अच्छी अच्छी भूमि पर लठबल से कब्जा कर भू–माफिया लोगो को सम्भलाने पर आमादा है। प्रतिवादीगण अच्छी अच्छी उपजाउ भूमि पर अवैधानिक रूप से लठबल के आधार पर कब्जा कर लेगे एवं वादीगण को उनके हिस्से से जबरन लठ बल से बेदखल कर देगे तो इससे वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि में किया जाना संभव नहीं होगा वादीगण को उनके खातेदारी अधिकारो से महरूम होना पड़ेगा। यहकि वादीगण ने बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि को काफी रूपये खर्च कर उपजाऊ व समतल बनाया है एवं काफी रूपये खर्च कर भूमि को काबिल काश्त बनाया है वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि को उपजाऊ व उपयोगी बनाने में लाखो रूपये खर्च किये है विधि अनुसार बाहमी बंटवारे में प्रप्त भूमि विधिक बंटवारे में वादीगण को दिया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। यहकि प्रतिवादीगण वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है उन्होने वादीगण को एलानियों धमकी दी है कि वे अपने हिस्से की भूमि को भूमाफिया व्यक्तियो को बेचान कर रहे है एवं अच्छी अच्छी भूमि पर जबरन कब्जा कर भूमाफिया लोगो को कब्जा सम्भला देगे एवं वादीगण को बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि से जबरन लठबल से बेदखल कर देगे जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन होगा एवं वादीगण अपनी भूमि के उपयोग उपभोग से महरूम हो जावेगे। यहकि वादीगण ने वादग्रस्त भूमि का बाहमी बंटवारा होने के पश्चात वादीगण ने बाहमी बंटवारे में प्राप्त अपने हिस्से की

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

भूमि को काफी रूपये खर्च कर समतल एवं उपयोगी बनाया है वादीगण ने काफी मेहनत कर अपनी भूमि को उपजाऊ बनाया है एवं बाहमी बंटवारे के समय से बिना किसी बाधा के हाल आबाद काबिज काश्त है विधि अनुसार बाहमी बटवारे में वादी को प्राप्त भूमि विधिक बंटवारे में वादीगण को दिया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। यहकि वादग्रस्त आराजी भूमि का बाहमी बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से किया गया था एवं प्रतिवादीगण ने बाहमी बंटवारे को स्वीकार करते हुये बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि पर काबिज काश्त हो गया था वादीगण ने बाहमी बंटवारे के पश्चात बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि को समतल एवं उपयोग बनाया है एवं अपनी मेहनत से भूमि को उपजाउ बनाया है। प्रतिवादीगण को वादीगण को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि कुछ दिन पूर्व वादीगण अपने हिस्से की भूमि में फसल की कटाई कर रहे थे कि प्रतिवादीगण एकराय होकर आये एवं वादीगण को एलानियां धमकी दी की वे भूमि पर काश्त नहीं करने देगे एवं कहा कि हमारे नाम से शामिल में खातेदारी भूमि है वो अपने हिस्से को दीगर भू–माफिया बाहुबली लोगो को बेचान कर देगे एवं अच्छी अच्छी सारी भूमि का कब्जा जबरन भू–माफिया बाहुबली केता लोगो को करवाकर कब्जा सम्भला देगे वादीगण को उसके हिस्से से जबरन बेदखल कर देगे जिससे वादीगण को बिनाय दावा वाद कारण उत्पन्न हुआ है वाद पत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित एवं न्याय संगत है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नं0–170 रकबा 0.68 है० स्थित वाकै ग्राम घासीप्रभा, पटवार हल्का नाथावाला तह०शाहपुरा, जिला जयपुर का विधिक बंटवारा राजस्व नियमावली के मुताबिक किया जाकर पूर्व में किये गये बाहमी बंटवारे के अनुसार उत्तर से दक्षिण पश्चिम हिस्सा वादीगण को विधिक बंटवारे में उसके हिस्से अनुसार दिया जावे वादीगण का पृथक से पर्चा खातेदारी बनाया जावे एवं अलग से लगान का निर्धारण किया जावे जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के विधिक बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा उत्पन्न नहीं करे ना ही वादीगण की भूमि में किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करे ना ही उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की मजाहमत उत्पन्न करे ना तो ऐसा स्वंय करे ना ही अपने नौकर एजेन्ट व्यवधानापन्न से ऐसा करवाये वादीगण को उसके हिस्से की भूमि का शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता रामनिवास गुर्जर ने वकालतनामा पेश

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

किया। वकील प्रतिवादी ने जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया। वकील वादी ने जवाब उल जवाब पेश किया। प्रकरण में दिनांक 03.05.2024 को वकील उभयपक्ष ने दावा प्राथमिक डिक्री कर बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु सहमति दी, उक्त दिनांक को दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को बंटवारा प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने बाबत् आदेशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/2690 दिनांक 28.05.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना–पत्र बाबत् आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पेश किया। उक्त आपत्ति का वकील वादी द्वारा जवाब पेश किया गया। उक्त आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि कुर्रेजात रिपोर्ट जमाबंदी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बनाई गई है एवं वकील उभयपक्ष की सहमति प्रदान करने के उपरांत ही दावा प्राथमिक डिक्री किया गया है। अतः प्रार्थना–पत्र बाबत् आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट सारहीन होने से खारिज किया जाता है एवं कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतित होने से दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खसरा नं0–170 रकबा 0.68 है० स्थित वाकै ग्राम घासीप्रभा, पटवार हल्का नाथावाला तह०शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. **बनवारी पुत्र कानाराम हि0 1/2, श्रीराम पुत्र रामशरण हि0 1/2 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 170/2 रकबा 0.53 है0 किता 1 कुल रकबा 0.53 है0 भूमि रहेगी।**
2. **प्रभू पुत्र नारायण हि0 1/3, प्रहलाद पुत्र गोमा हि0 1/3, मदन पुत्र गोमा हि0 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 170/1 रकबा 0.15 है0 किता 1 कुल रकबा 0.15 है0 भूमि रहेगी।**

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें,

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16/01/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(संजीव कुमार खेदर, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला जयपुर